कार्य अहकाम

(नियम 33)

अदालत सहायक कलक्टर सिरोही

मुकाम

मुकदमा नानुराम बनाम जोगाराम

नम्बर 112 सन 2023

किस्म मुकदमा 212 | 25 Act

तारीख / हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | मुहर व तारीख अहकाम जो करे हुक्म की तामील व जारी हुआ

19/3/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व ~~प्रतिवादी सरकार~~ उप.। मुलवाद में अप्रार्थी ~~पेट की ओर जवाब प्रस्तुत किया गया है।~~ अप्रार्थी उप.। को नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी बराबर सुनवाई न्यायालय के हाजिर नही होने के न्यायालय द्वारा उक्त अप्रार्थी के ~~हाजिर~~ होने के लिए बार बार आवाजे लगवाने के बावजूद स्वयं या उनके वकील प्रतिनिधि कोई भी न्यायालय समक्ष तक हाजिर नही होने के न्यायालय द्वारा अप्रार्थी उप.। के तिरफ से पक्षीय कार्यवाही अमल में लाने के आदेश दिये जाते। अमल में लाने के लिए ~~अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक~~

~~पत्रावली पेश~~ हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। जिन्होने उक्त प्रा0पत्र को Not Press ~~किया~~ है।

30/4/25

चुँकि वकील प्रार्थी द्वारा उक्त प्रा.पत्र को Not Press कर दिया है। जिससे उक्त प्रा0पत्र को अब आगे चलाने का कोई औचित्य नही होने से विचाराधीन उक्त प्रा0पत्र अ.धारा 212 R.T Act का जरिये Not Press खारीज किया जाता है। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर सिरोही (राज.)

Not Press

30/4/25

30/4/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। जिन्होंने ~~प्रार्थना~~ में Not Press ~~किया जिससे विचाराधीन उक्त~~ प्रा.पत्र अ.धारा 212 | 25 Act को आगे चलाने ~~का कोई औचित्य नही होने के कारण~~ जरिये Not Press खारीज किया जाता है। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)